निवारक निरोध (प्रिवेंटिव डिटेंशन)

THE HINDU

Preventive detentions in 2021 up by 23.7% compared to year before

Number of people in custody or still detained at the end of the year highest since 2017

September 05, 2022 09:28 pm | Updated September 06, 2022 11:15 am IST - New Delhi

गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार (संविधान में उल्लेखित)

- ✓ 22(1) गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
- ✓ 22(1) खुद के लॉयर/वकील द्वारा क़ानूनी बचाव (डिफेंड) का अधिकार
- ✓ 22(2) 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार

ये अधिकार दुश्मन-देश के व्यक्ति और प्रिवेंटिव डिटेंशन के दौरान नहीं होते हैं

2017: 67 हजार लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। NCRB ने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया।

2021: 1.1 लाख लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया।

क्या आप जानते थे ? अन्य डेमोक्रेसी में, या तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून होते ही नहीं है, या वे केवल आपातकाल के दौरान ही लागू होते हैं। 2012 में, UK ने अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून को निरस्त कर दिया।

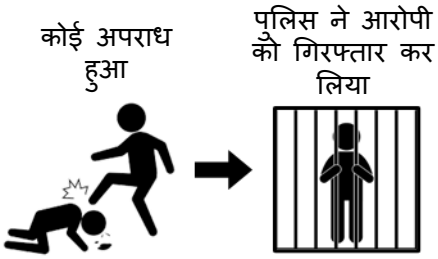

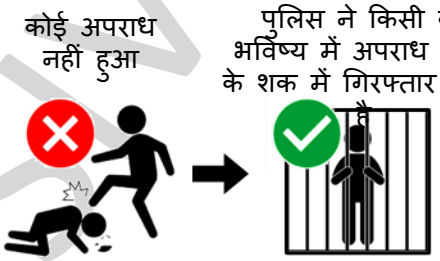

सामान्य कानून के तहत गिरफ़्तारी	प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत नजरबंदी/गिरफ़्तारी
गिरफ़्तारी का कारण बताना होगा Why?	यदि कारण बताये जाने पर जनहित का नुकसान हो तो कारण बताना आवश्यक नहीं
24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा	24 घंटे जैसी कोई शर्त नहीं है 3 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं * 3 महीने से ज्यादा हिरासत में रखने के लिए एडवाइजरी बोर्ड (सलाहकार मंडल) की राय लेनी होगी #
खुद के लॉयर/वकील द्वारा क़ानूनी बचाव (डिफेंड) का अधिकार	डिटेंशन आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन (बात रखने) का अवसर देना होगा
चुनाव में मतदान नहीं कर सकते	चुनाव में मतदान कर सकते हैं (डाक मतपत्र / पोस्टल बैलट के माध्यम से) VOTE
केंद्र और राज्य, दोनों ही कानून बना सकते हैं	केंद्र और राज्य, दोनों ही कानून बना सकते हैं

- ❑ क्या संसद के सत्र के दौरान किसी सांसद को 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है? हाँ
- ❑ संसद के किसी सत्र के 40 दिन पहले, उसके दौरान और 40 दिन बाद गिरफ्तारी न करने का संसदीय विशेषाधिकार लागू होता है :
  - ❑ सिविल केस में ? हाँ
  - ❑ आपराधिक केस में ? नहीं
  - ❑ प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में ? नहीं

***Article 22** संसद ऐसा कानून बना सकती है जिससे, बिना एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के, तीन महीने से अधिक, हिरासत में रखा जा सकता है

 # एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य

- ✓ हाईकोर्ट के जज, या
- ✓ हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज, या
- ✓ हाईकोर्ट के जज बनने के योग्य व्यक्ति

बस समझें, याद करने की आवश्यकता नहीं है

प्रिवेंटिव डिटेंशन विभिन्न कानूनों के तहत की जा सकती है, जैसे

- ✓ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
- ✓ जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978
- ✓ गुंडा अधिनियम (केंद्रीय और राज्य कानून)
- ✓ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974
- ✓ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (MISA एक्ट), 1971 (1971-1977)
- ✓ आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोधक कानून (TADA एक्ट), 1985 (1985-1995)
- ✓ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA एक्ट), 1999
- ✓ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट (NDPS), 1985
- ✓ UAPA, CrPC आदि...

इन कानूनों में अलग-अलग प्रावधान हैं। उदाहरण के लिए, **CrPC की धारा 151**

- ❑ पुलिस किसी भी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) को रोकने के लिए गिरफ्तारी-वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है।
- ❑ CrPC के अन्य प्रावधानो या किसी अन्य कानून के तहत, हिरासत को 24 घंटे से अधिक बढ़ाया जा सकता है।

प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार

- ✓ विदेशी मामले
- ✓ सुरक्षा
- ✓ सार्वजनिक व्यवस्था
- ✓ आवश्यक सेवाओं का रखरखाव

आदि ...।

दंडात्मक निरोध (प्यूनिटीव डिटेंशन) ट्रायल और दोषसिद्धि के बाद किसी व्यक्ति को दंडित करना

अपराध → ट्रायल → प्यूनिटीव डिटेंशन

प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation)

प्रीलिम्स 2018

भारत की संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी संवीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि, आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों (डेलिगेशन) की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है ?

(a) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
(b) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
(c) नियम समिति
(d) कार्य सलाहकार (बिज़नेस एडवाइजरी) समिति

66वीं BPSC (प्री) 2020

निम्नलिखित में से कौन-सी विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है ?

(a) स्वायत्तता
(b) लोक-सहभागिता
(c) स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना
(d) स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं / एक से अधिक

प्रीलिम्स 2017

स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है

(a) संघवाद का
(b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
(c) प्रशासकीय प्रत्यायोजन का
(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

भारत में जिले

भारत में कितने जिले हैं?

जनगणना (सेन्सस) 2011 → **593**
फरवरी 2023 → लगभग **780**

जिलों को बनाना, बदलना, समाप्त करना

राज्य सरकार कानून बनाके, या कार्यकारी आदेश (इग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर) द्वारा, ऐसा कर सकती है

किसी भी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना

इसके लिए राज्य सरकार को कई केंद्रीय मंत्रालयों से NOC लेनी होती है

सबसे बड़ा जिला- **कच्छ**, गुजरात - 45,652 km^2
सबसे छोटा जिला- **माहे**, पुडुचेरी - 8.69 km^2

सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य

उत्तर प्रदेश (75)

सबसे कम जिलों वाला राज्य

लक्षद्वीप (1)
चंडीगढ़ (1)
लद्दाख (2)
गोवा (2)

ओम्बुड्समैन
वह अधिकारी जो सरकार या संगठनों (जैसे बैंकों, बीमा कंपनियों आदि) के खिलाफ शिकायतों की जाँच करता है
सबसे पहले ये स्वीडन में 1809 में बनाया गया, कार्यपालिका से स्वतंत्र एक पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) एजेंसी के रूप में

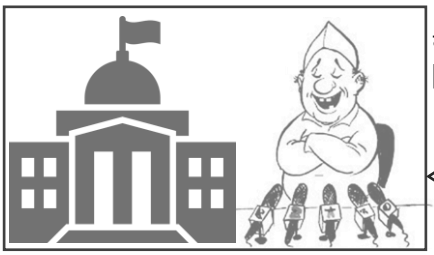

सरकार द्वारा कमेटी का गठन

सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप

समस्या
- हितो का टकराव (Conflict of Interest)
- खुद के मामले में खुद ही निर्णायक (जज)

समाधान
- स्थायी और स्वतंत्र समिति का गठन

Selection Committee → President → Lokpal

PM (Chair)
LS Sp. C.J.I.
LS LoP Eminent jurist

1+8 members
50% shall be judicial members
50% shall be SC/ST/OBC/women/minority

क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) कोई भी जो है या रहा है
केंद्र द्वारा स्थापित किसी निकाय का कर्मचारी
PM, मंत्री, MP, केंद्र के ग्रुप A,B,C,D कर्मचारी
कोई भी जिसे FCRA के तहत 10 लाख रुपये का विदेशी चंदा मिल हो

लोकपाल
- ✓ स्वत: संज्ञान (suo-moto) कार्रवाई नहीं कर सकता
- ✓ बहुमत से निर्णय लेता है
- ✓ इसके खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होता है (charged on consolidated fund)
- ✓ यह ईमानदार अधिकारी की रक्षा करता है (आरोपी को कानूनी सहायता देता है)

किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी (जैसे CBI) पर लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों में, लोकपाल के पास अधीक्षण (Superintendence) और निर्देश (Direction) की शक्ति है ।

- ❑ PM के खिलाफ शिकायत की जा सकती है ? **हाँ**
- ❑ सेना /नौसेना/वायु सेना/तटरक्षक अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है ? **नहीं**
- ❑ विदेशी लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं? **हाँ** (कृपया पृष्ठ-63 पर सुधार करें)
- ❑ शिकायत अंग्रेजी में होनी चाहिए ? **नहीं** (8वीं अनुसूची में से किसी भी भाषा में शिकायत की जा सकती है)

लोकायुक्त
- ✓ 2013 के अधिनियम के अनुसार, लोकायुक्त की स्थापना करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है (यदि उनके पास पहले से लोकायुक्त नहीं है)
- ✓ 2013 के अधिनियम से पहले भी कुछ राज्यों में लोकायुक्त थे
- ✓ अलग-अलग राज्यों में लोकायुक्त की शक्तियां अलग-अलग होती हैं

चयन समिति में रिक्ति (vacancy) होने पर लोकपाल का चयन नहीं किया जा सकता है? गलत

2017 मार्च

2017 अप्रैल

2011	2021
2012	2022
2013	2023
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

1967 : 1st ARC द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त के गठन का प्रस्ताव
1969 : विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, व्यपगत (Lapse) हो गया। (2008 तक 9 बार और पेश किया गया)
1971 : महाराष्ट्र लोकायुक्त बनाने वाला पहला राज्य बना
2011 : लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया
2013 : संसद द्वारा पारित
2016 : संसोधन
2019 : पहला लोकपाल नियुक्त (सेवानिवृत्त SC जज पिनाकी चंद्र घोष)
2022 : पिनाकी चंद्र घोष सेवानिवृत्त (न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक (Acting) लोकपाल हैं)

NPR - NRC- CAA

Abcd Efgh Abcd Efgh
Abcd Efgh Abcd Efgh
Abcd Efgh Abcd Efgh
Abcd Efgh Abcd Efgh
Abcd Efgh Abcd Efgh
Abcd Efgh Abcd Efgh
Abcd Efgh Abcd Efgh
Abcd Efgh Abcd Efgh

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)

- सामान्य निवासियों की सूची । (छह महीने से एक क्षेत्र में रह रहा हो या रहने का इरादा हो)
- दस्तावेजों की जरूरत नहीं । विदेशियों को शामिल किया जा सकता है? हाँ
- इसे पहली बार 2010 में (2011 जनगणना के दौरान) तैयार किया गया और 2015 में अपडेट किया गया
- जनगणना 2021 के साथ फिर से अपडेट किया जाएगा (अभी विलम्बित है)
- यह नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत बनाए गए नागरिकता नियम 2003 के तहत किया जाता है
- प्रत्येक सामान्य निवासी को **NPR** में पंजीकरण कराना अनिवार्य है
- **NRC** बनाने की दिशा में पहला कदम **NPR** है (गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 पृष्ठ-262 के अनुसार)

✓Abcd Efgh ✓Abcd Efgh
✓Abcd Efgh ✓Abcd Efgh
✓Abcd Efgh Abcd Efgh
✓Abcd Efgh Abcd Efgh
✓Abcd Efgh Abcd Efgh
✓Abcd Efgh Abcd Efgh
✓Abcd Efgh Abcd Efgh

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

- भारतीय नागरिकों की सूची
- नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे जाएंगे। विदेशियों को शामिल किया जा सकता है? नहीं
- वर्तमान में केवल असम में **NRC** है। (1951 की जनगणना के बाद बनाया गया, 2019 में अपडेट किया गया)
- नागरिकता संशोधन अधिनियम-2003
  - केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत कर सकती है
  - इसके लिए सरकार **NRC** बना सकती है
- यह जनसंख्या को दो श्रेणियों में विभाजित करता है
  - नागरिकता दस्तावेज वाले लोग
  - नागरिकता दस्तावेज के बिना लोग → विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigner's Tribunal) जाए / **CAA**-2019 के तहत दस्तावेज प्राप्त करें

✓Abcd Efgh ✓Abcd Efgh
✓Abcd Efgh ✓Abcd Efgh
✓Abcd Efgh ☑Abcd Efgh
✓Abcd Efgh ☑Abcd Efgh
✓Abcd Efgh ☑Abcd Efgh
✓Abcd Efgh ☑Abcd Efgh
✓Abcd Efgh Abcd Efgh
✓Abcd Efgh Abcd Efgh

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA)

- नागरिकता के मानदंड/आधार में संशोधन
- प्राकृतिककरण **(Naturalisation)** द्वारा नागरिकता के लिए, समय अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 (केवल कुछ मामलों में)
- छठी अनुसूची के क्षेत्रों (AMTM) और ILP क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है (क्लास-3 पेज -19 देखें)
- भारत के किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर **OCI** का दर्जा रद्द किया जा सकता है

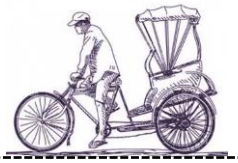

जिनके पास **NRC** के लिए दस्तावेज नहीं थे, वे **CAA** 2019 के तहत दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं
लेकिन उन्हें तीन बातें घोषित करनी होगी

1. धर्म - हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हैं
2. 31-12-2014 को या उससे पहले भारत में उपस्थित थे (उपस्थिति का कोई प्रमाण देना होगा)
3. बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए थे (भले ही सबूत/पासपोर्ट उपलब्ध न हो)

https://hcikl.gov.in/pdf/press/CAA_2019_dec.pdf

Note

- सरकार किसी की नागरिकता नहीं छीन रही है। सरकार सभी से दस्तावेज दिखाने को कह रही है।
- दस्तावेज नहीं दिखा पाने वालों में से
  - कुछ को CAA 2019 के तहत दस्तावेज दिए जाएंगे
  - अन्य, नागरिकता के अधिकार खो देंगे (वोट, भूमि, सरकारी नौकरी आदि) (भारत से निकाला नहीं जाएगा)

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

MHA gets 7th extension to frame CAA rules

By: Express News Service

New Delhi | Updated: January 8, 2023 07:00 IST

NewsGuard

CAA को लागू किया जाना अभी बाकी है, क्योंकि इस के तहत नियम बनाए जाने बाकी हैं।
संसदीय कार्यों की नियमावली के अनुसार, कानून बनने के छह महीने के भीतर, उस कानून के नियम तैयार हो जाने चाहिए। वरना सरकार को लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समितियों (committee on subordinate legislation) से समय-सीमा बढ़ाने की मांग करनी होती है

असम समझौता (Assam Accord)

- 15-08-1985 को केंद्र सरकार, असम सरकार, AASU के बीच हुआ। बांग्लादेशी प्रवासियों को पहचानने और निर्वासित करने के लिए।
- 1971 में 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से भारत आए (80 लाख हिंदू, 20 लाख मुस्लिम)
- असम समझौते के अनुसार इन सभी को निर्वासित किया जाना चाहिए। लेकिन **CAA** उनमें से ज्यादातर को नागरिकता देगा। इसलिए असम में CAA का विरोध होता है https:// Economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/protests-against-the-citizenship-amendment-act-caa-are-back-in-northeast-india-after-a-lull/articleshow/ 93631625.सेमी

1 जनवरी, 1966		25 मार्च, 1971
जो 01-01-1966 से पहले आए थे, उन्हें नागरिकता मिलेगी	जो 01-01-1966 से 25-03-1971 के बीच आए, उन्हें भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन वोटिंग का अधिकार 10 साल बाद मिलेगा	जो 25-03-1971 के बाद आए, उन्हें वापस भेज जाएगा